संख्या-860 /X-2-2011-12(12)/2007

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2011

विषयः- अनुदान सं0-30 ''एस0सी0एस0पी0'' के अन्तर्गत वन विभाग के आयोजनागत पक्ष की "सिविल एवं सोयम वनों का विकास" योजना हेतु वर्ष 2010-11 में वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-नि0-819/2-36(अ0जा0उपयोजना) दिनांक 18 दिसम्बर, 2010 तथा पत्र सं0-नि0-1140/2-36(अ0जा0उपयोजना) दिनांक 15 फरवरी, 2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की **''सिविल एवं सोयम वनों का विकास''** योजना की अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 संलग्न बी0एम0-15 प्रारूप पर अंकित विवरणानुसार पुनर्विनियोग करते हुए पूर्व में अवमुक्त ₹ 1,50,00,000/- के अतिरिक्त प्रस्तर-2 में इंगित तालिका में मदवार इंगित **₹ 1,50,00,000/-(₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र)** व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण / व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किस्तों में दिया जाय.
2. उक्त स्वीकृति व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथास्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारण प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है. अतः आपके निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो, परन्तु यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि धनराशि का आहरण वास्तविक मांग आधार पर किश्तों में किया जाय.
4. योजना / परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप अनुसूचित जाति के स्थानीय निवासियों की सहभागिता सहित उक्त ग्रामों एवं समूहों को लाभ दिया जाना सुनिश्चित किया जाय.
5. आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.
7. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.
8. धनराशि का आहरण / व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.

9. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
10. जो निर्माण कार्य आरम्भ किये जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXVII(1)/2009, दिनांक 16 जुलाई, 2009 द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
11. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.
12. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.
14. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअली के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
15. निर्माण कार्यों के लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुअल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी.
16. विभागाध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ मे तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्र सहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे. उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी. केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800- अन्य व्यय 0203-**"सिविल सोयम वनों का विकास योजना"** हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगा:-

(धनराशि ₹ हजार में)

क0सं0	मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	पूर्व में निर्गत वित्तीय स्वीकृति	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	
1	24- वृहत निर्माण कार्य	25000	12500	9830	(-)पुनर्विनियोग
2	29- अनुरक्षण	5000	2500	5170	(+)पुनर्विनियोग
	योग	**30000**	**15000**	**15000**	

(वर्तमान वित्तीय स्वीकृति ₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-63(P)/XXVII(1)/2010, दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति सें जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

क्रमशः.....3

संख्या- 860(1)/x-2-2011, तद्दिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन तथा लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून.
5. मुख्य वन संरक्षक, सर्तकता एवं कानून प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून.
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
8. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल.
9. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
11. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
13. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
14. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
15. गार्ड फाइल.

आज्ञा से,

(सुशांत पटनायक)

अपर सचिव

आय-व्ययक प्रपत्र-15

पुनर्विनियोग विवरण पत्र 2010-11 अनुदान संख्या-~~21~~ 30 राजस्व लेखा आयोजनागत

नियंत्रक अधिकारी-अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड (धनराशि ₹ हजार में)

क्रम सं0	बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखा शीर्षक का विवरण जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
	1	2	3	4	5	6	7	8
1-	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 02-अनुसूचित प्रजातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0203-सिविल एवं सोयम वनों का विकास 24-वृहत निर्माण कार्य (क)	25000	12384	9946	2670	2406-वानिकी तथा वन्य जीव 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 02-अनुसूचित प्रजातियों के लिये स्पेशल कम्पोनेंट प्लान 0203-सिविल एवं सोयम वनों का विकास 29-अनुरक्षण (ख) 2670	7670	22330	क-आवश्यकता न होने के कारण बचता है। ख-भारत सरकार से अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार मद में धनराशि की आवश्यकता है।
योग	25000	12384	9946	2670	2670	7670	22330	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151, 155 एवं 156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-4
संख्या- 63 /XXVII(4)/2010 दिनांक 18 ~~फरवरी~~ मार्च, 2011

पुनर्विनियोग स्वीकृत

(एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव (वित्त)

उत्तराखण्ड शासन
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2
संख्या- 860 (2)/X-2-2011-12(12)/2007 दिनांक 22 मार्च ~~फरवरी~~, 2011

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव